** जांच प्रतिवेदन **

दिनांक : 19.02.2016

एमपीसीडीएफ का पत्र क्रमांक 536/प्रशासन/2016 दिनांक 01.02.2016 से भोपाल दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.के.दूरवार के भ्रष्टाचार में संलिप्तता के संबंध में विस्तृत जांच करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। शिकायत के बिन्दु क्रमांक 3 के संबंध में प्राथमिक जांच की जाकर प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रेषित है :

बिन्दु क्रं.	जांच का विषय	वस्तुस्थिति
03	यह कि श्रीमान श्री आर.के. दूरवार के द्वारा दूध क्रय में भी घोटाला किया जा रहा है, इससे भी मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। 08 जनवरी 2015 को टेंकर नं. 7818 बी.डी.एस. द्वारा पकड़ कर पंचनामा बनाया गया। क्योंकि उस टेंकर के अंदर एक छोटा 1000 लीटर का कम्पाउड बना हुआ था, जिसमें 1000 लीटर पानी भरकर आता था। किन्तु सी.ई.ओ. के आदेश से रात में टेंकर को बदल कर दूसरा टेंकर खड़ा कर दिया गया एवं उसकी जांच कर उसको क्लीन चिट दे दी गई। इस प्रकार के कई टेंकर बी.डी. एस. में कई दिनों से चल रहे है। जिसमें भी सी.ई.ओ. की पूरी संलिप्तता व पार्टनरशिप है। उक्त टैंकर जैसे लगभग 20 टैंकर पार्टनरशिप वाले श्री दूरवार के चल रहे है। एक टैंकर में 1000 लीटर पानी के अलग से कम्पाउण्ड बने है। अतः प्रतिदिन लगभग 8 लाख रूपये कमाया जा रहा है।	जांच समिति द्वारा दिनांक 09.02.2016 को शिकायतों की जांच हेतु संघ के कार्यालय में भेंट देकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.के.दूरवार से चर्चा की गई एवं शिकायतों के संदर्भ में आवश्यक दस्तावेज चाहे गये। संघ कार्यालय द्वारा शिकायत के बिन्दु क्रमांक 3 से संबंधी उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों में दिनांक 8/9 जनवरी 2016 की रात्रि पारी में संयंत्र एवं गुण नियंत्रण शाखा द्वारा टेंकर क्रमांक MP 04 GA 7818 की बैरल में गुप्त कम्पार्टमेन्ट होने विषयक बनाये गये 3 पंचनामों की प्रतियॉ भी थी (पंचनामे की प्रति संलग्न) जिनका विश्लेषण करते हुए समिति द्वारा आगे की जांच जारी रखी गई। जांच में पायी गयी वस्तुस्थिति निम्नानुसार है : 1. दिनांक 8/9 जनवरी 2016 की दरमियानी रात्रि पारी में टेंकर क्रमांक MP 04 GA 7818 की front चेम्बर में एक गुप्त कम्पार्टमेन्ट होने बावत् संयंत्र में 3 पंचनामें बनाये गये थे। प्रथम पंचनामा दिनांक 09.01.2016 को प्रातः 4 am पर टेंकर चालक श्री शुभम मेवाड़ा के समक्ष टेंकर अनलोडिंग डॉक पर बनाया गया जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये है : (i) श्री कमल बी यादव, प्रबंधक (संसं) एवं शिफ्ट प्रभारी (ii) श्री मो. असलम खान, प्रबंधक (गुनि) (iii) श्री राधेलाल, संयंत्र शाखा में सर्विस प्रोवाईडर (iv) श्री आर.के.गौर, एक्स आर्मी सिक्यूरीटी सुपरवाईजर (v) श्री शुभम मेवाड़ा, टेंकर चालक (vi) श्री राजेश चौधरी, प्रयोगशाला सहायक सर्विस प्रोवाईडर (vii) श्री धर्मदास, परिचारक संयंत्र पंचनामा बनाने के अतिरिक्त संयंत्र के स्टाफ द्वारा टेंकर के कुछ फोटोग्राफ लिये गये थे। जिसमें टेंकर के पीछे के भाग एवं गुप्त कम्पार्टमेन्ट में पानी भरने हेतु रेलिंग पाईप का फोटोग्राफ संलग्न है।

बिन्दु कं.	जांच का विषय	वस्तुस्थिति
		उक्त टेंकर के बैरल को वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष दिनांक 09.01.2016 को दिन पारी में सूक्ष्म निरीक्षण हेतु उक्त टेंकर को जब्त कर रखने के आदेश भी पंचनामा बनाने के उपरांत प्रबंधक (संसं) एवं शिफ्ट प्रभारी श्री के.बी. यादव द्वारा सुरक्षा कर्मी को दिये गये थे। परन्तु टेंकर चालक श्री शुभम मेवाड़ा द्वारा वजन कराने के उपरांत (गेट नंबंर 2 स्थित धर्मकाटा) टेंकर लेकर भागने का प्रयास किया गया जिसे गेट नंबंर 1 पर तैनात गार्ड एवं पूर्व सैनिक द्वारा रोका गया। इस बावत् दूसरा पंचनामा 04:30am पर गेट नंबंर 2 पर सुरक्षा शाखा के श्री पाण्डे द्वारा बनाया गया जिस पर निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये है : (i) श्री कमल बी यादव, प्रबंधक (संसं) शिफ्ट प्रभारी (ii) श्री उदित नारायण (iii) श्री बहादुर सिंह (iv) श्री दिवाकर सेन (v) श्री आर.के. गौर इस पंचनामे को श्री आर.आर. त्रिवेदी, सुरक्षा अधिकारी द्वारा महाप्रबंधक (संसं) को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया गया। जिस पर महाप्रबंधक (संसं) द्वारा दिनांक 15.01.2016 को नस्ती पर प्रस्तुत करने हेतु जारी किया गया। टेंकर ड्रायवर द्वारा टेंकर को भगाने के संदर्भ में गेट नंबंर 1 पर तैनात भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा पर्यवेक्षक श्री आर.के.गौर द्वारा भी एक और पंचनामा बनाया गया जिस पर निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये : (i) श्री कमल बी यादव, प्रबंधक (संसं) शिफ्ट प्रभारी (ii) श्री आर.के. गौर (iii) श्री एम खान (iv) श्री जयपाल सिंह (v) श्री राजपाल सिंह इसी बीच टेंकर के मालिक भी दुग्ध संयंत्र में पहुॅच गये एवं टेंकर को छुडवाने का प्रयास किया गया। आपात स्थिति में जल्द से जल्द दूध उठाने की आवश्यकता को बताते हुए एवं बैरल का निरीक्षण बाद में भी किया जा सकता है कहते हुए श्री के.एस. मिश्रा, सहायक महाप्रबंधक (यांत्रिकी) द्वारा उक्त टेंकर को (जिस पर संदिग्ध बैरल स्थापित थी) सुरक्षा अमले को निर्देशित कर छोड दिया गया था जो कि संयंत्र से 06:35am पर निकल भी गया था।

बिन्दु कं.	जांच का विषय	वस्तुस्थिति
		2. इस टेंकर के जीपीएस सिस्टम में रिकार्डेड रूट चार्ट का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि यह टेंकर दिनांक 09.01.2016 को प्रातः 07:37 बजे से दोपहर 12:18 बजे तक अर्थात 04 घंटे 41 मिनट ग्राम फन्दा पर खड़ी हुई थी। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि यह टेंकर दुग्ध संयंत्र से रवाना होने के 1 घंटे के अंदर लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित फन्दा ग्राम में एक निश्चित स्थान तक पहुॅच गयी थी एवं उसके उपरांत 4 घंटे 40 मिनिट उसी स्थान पर खड़ी रही। जब दूध उठाने की आपात स्थिति थी तो परिवहनकर्ता को मार्ग में 4 घंटे 40 मिनिट फन्दा में वाहन रोकने की आवश्यकता नहीं थी। 3. उक्त टेंकर दिनांक 09.01.2016 को शाम लगभग 07:10 बजे दूध परिवहन कर वापस संयंत्र में पहुॅचा। संयंत्र में आने पर on duty staff द्वारा इस टेंकर के भी फोटोग्राफ लिये गये थे जो अवलोकनार्थ संलग्न है। 02 दिन अवकाश के उपरांत दिनांक 11.01.2016 को उक्त टेंकर पर स्थित बैरल का निरीक्षण संयंत्र के अधिकारियों द्वारा कराया जाकर पुनः एक जांच रिपोर्ट बनायी गयी जिसमें निम्नाकिंत कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये है : (i) श्री वाय.के. गुजराती, प्रबंधक (यांत्रिकी) (ii) श्री बी.के.शर्मा, प्रभारी (यातायात) (iii) श्री श्याम गुप्ता, सहायक महाप्रबंधक (गुनि) (iv) श्री सुनील वर्मा, प्रबंधक (संसं) (v) श्री सुबोध अग्रवाल, प्रबंधक (संसं) (vi) श्री कमल यादव, प्रबंधक (संसं) (vii) श्री असलम खान, प्रबंधक (गुनि) (viii) श्री राधेलाल, प्रबंधक (संसं) प्रशिक्षु (ix) श्री धर्मदास पाराशर, परिचारक संयंत्र (x) श्री देवेन्द्र गोस्वामी, वाहन मालिक (xi) श्री डी.के.शर्मा, सुरक्षा सुपरवाईजर (xii) श्री दीपक मेवाड़ा, वाहन चालक (xiii) श्री राजेश चौधरी, गुनि इस जांच प्रतिवेदन अनुसार उक्त टेंकर के बैरल में कोई त्रुटि नहीं दर्शाई गई। जबकि प्रतिवेदन में हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण श्री के.बी. यादव, मो. असलम खान एवं श्री राजेश चौधरी जिन्होने प्राथमिक पंचनामा बनाया था द्वारा समिति के समक्ष अपना बयान दिया है कि **"दिनांक 11.01.2016 को जिस टेंकर बैरल का निरीक्षण किया गया वह पूर्व के बैरल से भिन्न था एवं टेंकर मालिक द्वारा वही चेसिस**

बिन्दु कं.	जांच का विषय	वस्तुस्थिति
		रजिस्टेशन क्रमांक MP 04 GA 7818 पर बैरल बदलकर पुनः भेजा गया।'' (पंचनामा एवं संयुक्त बयान की प्रति संलग्न) 4. दिनांक 13.02.2016 को किसी अज्ञात व्यक्ति से दूरभाष पर सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 15.02.2016 को समिति सदस्यों द्वारा भोपाल सह. दुग्ध संघ मर्यादित के कुछ अधिकारी/कर्मचारी को साथ लेकर सीहोर के निकट फन्दा ग्राम में मुख्य सड़क के किनारे स्थित परिहार साँची पार्लर के पास श्री सुमेर सिंह के घर के निकट रखी एक रोड़ मिल्क टेंकर की बैरल का निरीक्षण किया गया था। उक्त बैरल के निरीक्षण में निम्न बिन्दु पाये गये : (i) उक्त बैरल का बाहर से अवलोकन करने पर दोनों तरफ **''दूध विक्रय हेतु नहीं, दूध चोरी''** एवं **''अनियमितता की स्थिति में संपर्क हेतु भोपाल दुग्ध संघ के महाप्रबंधक (संसं) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मोबाईल दूरभाष नंबंर''** एवं पूर्व आईडीसी की मोनो आदि लिखे पाये गये। बैरल के आगे नीले रंग से पेंट किया हुआ पाया गया। बैरल के पीछे के हिस्से में **भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित से अनुबंधित, सॉची दूध** एवं अन्य स्लोगन लिखा होना तथा इस बैरल के पीछे टेंकर क्रमांक MP 04 GA 7818 की नंबंर प्लेट नया लिखा जाकर पीछे की डेशबोर्ड की दायने हाथ की तरफ भी fixed लगी पायी गयी। बैरल के ऊपर लगी रेलिंग पाईप के आगे के हिस्से में 4–5 छेद (air vent हेतु) एवं पाईप के पीछे के कुछ हिस्से में खुले रेलिंग एवं सीढ़ी पाईप को बेन्ड के साथ जोडकर modify किया जाना, कुछ–कुछ जगहों पर नवीन रूप से रीपेंटिंग किया जाना एवं बैरल के डेशबोर्ड पर पीछे पुराने स्लोगन (अनार कली दूध भर के चली, देखने वालों की जाने जली) को मिटाया जाना पाया गया एवं बैरल के पीछे उसकी जगह नया स्लोगन (हस मत पगली प्यार हो जाएगा) लिखा हुआ पाया गया। (ii) बैरल के आगे के चेम्बर में (भीतर) फ्रन्ट dishend से लगभग 28 इंच की दूरी पर inner SS sheet पर पूरी periphery पर/में वेल्डिंग ज्वाइन्ट पाया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस चेम्बर में अलग SS sheet के सहारे पार्टीशन कर रखी थी, जिसे बाद में काट कर निकाला जाकर ग्राईन्डिंग कर फिनिशिंग भी किया गया था। (छायाप्रति संलग्न है।) (iii) बैरल के बाहर स्थित रेलिंग पाईप front चेम्बर की आगे की छोर डिश एण्ड के पास में अंदर तक जुडा

बिन्दु कं.	जांच का विषय	वस्तुस्थिति
		होना दिख रहा था। इस पाईप के छेद (पानी भरने हेतु inlet) को blank लगाकर वेल्डिंग कर बंद किया गया था एवं ग्राईन्डिंग कर फिनिशिंग भी किया गया था। इसी प्रकार चेम्बर की तली में भी एक आउटलेट को blank लगाकर वेल्डिंग कर बंद किया गया था एवं ग्राईन्डिंग कर फिनिशिंग भी किया गया था। उल्लेखनीय है कि यह दोनों इनलेट एण्ड आउटलेट आगे की डिश एण्ड से 28 इंच के अंदर ही स्थित थे, अर्थात पार्टीशन के भीतर के तरफ। इस बावत् विस्तृत पंचनामा एवं कुछ वीडियों/फोटोग्राफ भी लिये गये जो कि संलग्न है। बिन्दु क्रमांक (ii) एवं (iii) से स्पष्ट होता है कि बैरल के अगले चेम्बर में रेलिंग पाईप के माध्यम से पानी के इनलेट एण्ड आउटलेट की व्यवस्था सहित 28 इंच लम्बा एक गुप्त चेम्बर निर्मित था। (iv) दिनांक 15.02.2016 को 3 pm to 4 pm के बीच जांच समिति द्वारा उक्त बैरल जिस पर MP 04 GA 7818 की नंबर प्लेट लगी थी का मौके पर निरीक्षण किया गया। दूसरी ओर उक्त समय पर ही अर्थात दिनांक 15.02.2016 को लगभग 2:30 pm पर टेंकर क्रमांक MP 04 GA 7818 द्वारा मार्ग क्रमांक 12 का दूध लेकर भोसदुसंम के संयंत्र में पहुॅचा। इससे यह स्पष्ट होता है कि परिवहनकर्ता के पास उक्त नंबर की ही प्लेट लगाकर 2 या उससे अधिक बैरल पहले से ही उपलब्ध थे। 5. श्री के.बी. यादव, प्रबंधक (संसं) जो 8/9 जनवरी 2016 की पारी में संयंत्र में पारी प्रभारी की हेसियत से डियूटी पर थे। उनके द्वारा दिये गये बयान से स्पष्ट है कि श्री के.एस.मिश्रा द्वारा ही दुग्ध उठाने की आपात स्थिति बताते हुए एवं बैरल की जांच बाद में हो सकती है कहते हुए संदिग्ध टेंकर को बाहर जाने हेतु सुरक्षा शाखा को निर्देश दिया गया। (बयान की छायाप्रति संलग्न) 6. श्री सुनील वर्मा, प्रबंधक (संसं) (जो दिनांक 09.01.2016 को प्रातः 6 से दोपहर 2 बजे तक की डियूटी पर थे) द्वारा भी अपने बयान में उल्लेख किया है कि दिनांक 09.01.2016 प्रातः टेंकर क्रमांक MP 04 GA 7818 के साथ जो बैरल भेजा गया था वही बैरल रात्रि में प्राप्त न होकर दूसरा बैरल प्राप्त हुआ, जिसका (बाद की बैरल की) निरीक्षण दिनांक 11.01.2016 को किया गया था। अपने बयान में उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि **''उक्त संद्धिग्ध टेंकर को श्री के.एस. मिश्रा, सहायक महाप्रबंधक (यांत्रिकी) द्वारा ही सूक्ष्म निरीक्षण हेतु नहीं**

बिन्दु कं.	जांच का विषय	वस्तुस्थिति
		रोकते हुए सुरक्षा अधिकारी को बाहर जाने देने के निर्देश दिये गये'' (बयान की प्रति संलग्न)। 7. दिनांक 09.02.2016 को जांच के दौरान भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के कार्यालय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं समिति के समक्ष में श्री के.एस. मिश्रा, सहायक महाप्रबंधक (यांत्रिकी) द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि दिनांक 09.01.2016 को प्रातः उनके द्वारा ही सुरक्षा अमले को निर्देशित कर उक्त संद्धिग्ध टेंकर को छोडा गया था।

अभिमत :

उपरोक्त अनुसार पायी गयी वस्तुस्थिति के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि –

1. दिनांक 8/9 जनवरी 2016 की रात्रि पारी में संयंत्र में बनाये गये तीन पंचनामें अनुसार टेंकर क्रमांक MP 04 GA 7818 के बैरल के फ्रन्ट चेम्बर में एक गुप्त कम्पार्टमेन्ट होने की पुष्टि होती है।
2. दिनांक 8/9 जनवरी 2016 की रात्रि पारी में प्रथम पंचनामा बनने के उपरांत प्रबंधक (संसं) द्वारा (जो उक्त पारी के प्रभारी थे) उक्त टेंकर को जब्त करने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु वाहन टेंकर चालक द्वारा निर्देशों का अव्हेलना करते हुए टेंकर को भगाकर ले जाने का प्रयास किया गया जिन्हें सुरक्षा अमला द्वारा बडी तत्परता से रोका गया। कुछ देर बाद ही स्वंय परिवहनकर्ता इतनी देर रात में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी से दुग्ध संयंत्र में पहुॅच गये।

   टेंकर चालक एवं परिवहनकर्ता के इस प्रकार का अनापेक्षित/अटपटा व्यवहार गुप्त काम्पार्टमेन्ट होने की पुष्टि करता है।

3. उक्त टेंकर के बैरल को दिन पारी में वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष एक तकनीकी समिति से सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करने हेतु रोका जाना चाहिये था। परन्तु दुग्ध संकलन की बाध्यता एवं आपात स्थिति को दर्शाते हुए दिनांक 09.01.2016 प्रातः पाली में 06:35 बजे उक्त टेंकर को श्री के.एस. मिश्रा, सहायक महाप्रबंधक (यांत्रिकी) द्वारा बाहर जाने की अनुमति दे दी गई।
4. दिनांक 09.01.2016 को शाम पारी में प्राप्त उक्त टेंकर को दो–तीन दिन संयंत्र के गैरेज में खड़ा कर दिनांक 11.01.2016 को निरीक्षण किया गया था। ऐसे में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब 2–3 दिवस हेतु उक्त टेंकर को रोककर वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है (दिनांक 10, 11 एवं 12 जनवरी 2016 को वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत एक अन्य टेंकर क्रमांक MP 04/5864 द्वारा उक्त मार्ग क्रमांक 14 का दूध उठाया गया था) तो दिनांक 09.01.2016 को प्रातः संद्धिग्ध टेंकर को सूक्ष्म निरीक्षण हेतु क्यों नहीं रोका गया। श्री मिश्रा द्वारा टेंकर को छोडे जाने से परिवहनकर्ता को बैरल बदलने का अनुचित लाभ पहुॅचाया गया एवं बाद में संदिग्ध बैरल के रचना एवं स्वरूप को modify कर सबूत नष्ट करने का अवसर भी परिवहनकर्ता को दिया गया।

   दिनांक 15.02.2016 को समिति द्वारा ग्राम फन्दा में जांच की गई टेंकर की बैरल पर पाई गई लिखावट एवं MP 04 GA 7818 नंबंर प्लेट से स्पष्ट है कि वह बैरल युक्त टेंकर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल में अनुबंधित थी। स्पष्ट है कि यह बैरल वही है जो 8/9 जनवरी 2016 को संयंत्र में पानी का गुप्त कम्पार्टमेन्ट बावत् पंचनामा बनाया गया था एवं बैरल बदला गया था।

5. आपात स्थिति में दूध उठाने की आवश्यकता बताकर दिनांक 09.01.2016 की प्रातः 6:35am पर संदिग्ध टेंकर संयंत्र से रवाना हुई थी परन्तु उक्त टेंकर, जीपीएस रिपोर्ट अनुसार, फन्दा में 4 घंटे 40 मिनट खडा रखना गुप्त काम्पार्टमेन्ट की पुष्टि करता है।

   स्पष्ट है कि परिवहनकर्ता द्वारा इस अवधि में टेंकर के पहले के संदिग्ध बैरल को हटा कर दूसरे बैरल को उसी चेसिस पर अर्थात MP 04 GA 7818 पर लगाया गया एवं तत्पश्चात दूध की परिवहन हेतु आगे रूट पर भेज दिया गया (जीपीएस रिपोर्ट संलग्न)।

6. दिनांक 8/9 जनवरी 2016 की रात्रि पारी में जिस संदिग्ध टेंकर के लिये गये फोटोग्राफ एवं दिनांक 09.01.2016 को शाम पारी में प्राप्त हुए टेंकर की ली गई फोटोग्राफ के तुलनात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि दोनों बैरल भिन्न है। अतः दिनांक 11.01.2016 को जिस बैरल की जांच रिपोर्ट विभिन्न अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा दी गई है वह उक्त संद्विग्ध बैरल की ना होकर दूसरे बैरल की है। अतः दिनांक 11.01.2016 को 13 अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट का कोई औचित्य नहीं है।
7. संद्विग्ध बैरल के आगे के चेम्बर में लगभग 1200–1300 लीटर क्षमता का एक गुप्त कम्पार्टमेन्ट था जिसमें रेलिंग के पाईप के माध्यम से पूर्व निर्धारित/निश्चित मात्रा में पानी भराया जाता था। इस गुप्त कम्पार्टमेन्ट का लाभ निम्न तरीकों से लिया गया होगा।

   (i) मार्ग पर दूध परिवहन हेतु निकलने से पूर्व गुप्त कम्पार्टमेन्ट में कुछ निश्चित मात्रा में पानी भराया जाता था। BMC मार्ग से दूध भरकर संयंत्र में वापस आने के रास्ते में निश्चित मात्रा के दूध की चोरी/हेरा–फेरी/बेच दिया जाता था। संयंत्र स्तर पर टेंकर की gross weight तौलने के दौरान गुप्त रूप से भरे हुए पानी के वजन का लाभ लिया जाता था एवं टेंकर की tare weight लेने के पूर्व चालाकी/गोपनीय तरीके से (टेंकर धोने/टायरों की एयर प्रेजर चेक करने/टायरों में लगी गिटटी निकालने के बहाने) चालक/सहायक द्वारा टेंकर के नीचे स्थित गुप्त outlet से पानी drain किया जाता था। इस प्रकार परिवहनकर्ता अकेले के द्वारा दूध चोरी का लाभ लिया जाता था।

   (ii) मार्ग पर दूध परिवहन हेतु निकलने से पूर्व गुप्त कम्पार्टमेन्ट में कुछ निश्चित मात्रा में पानी भराया जाता था। परिवहनकर्ता एवं मार्ग से संबद्ध किसी भी BMC युक्त DCS से सांठ–गांठ कर वास्तविक प्रदाय मात्रा से अधिक निर्धारित/निश्चित मात्रा का दूध बढ़ाकर चालान प्राप्त करता था। सीधा संयंत्र पहुॅचकर टेंकर की gross weight लेने के उपरांत दूध खाली कराया जाकर चालाकी से गुप्त काम्पार्टमेन्ट में भरे पानी को drain कर फिर टेंकर का tare weight लिया जाता था। इस पद्धति में परिवहनकर्ता को मार्ग में दूध बेचना नहीं पड़ता। अतः कोई रिस्क नहीं है। चालान के माध्यम से बढ़ाकर लिखी गई दूध की मात्रा का भुगतान का अंश परिवहनकर्ता द्वारा समिति से प्राप्त करता है।

   यहां यह उल्लेखनीय है कि संयंत्र में एक साथ कई टेंकरों के दूध की अनलोडिंग की जाती है। अतः किसी भी एक टेंकर से प्राप्त दूध में volume/weight की कमी होने पर उसका अंदाजा नहीं हो पाता है, जिसका लाभ परिवहनकर्ता द्वारा उठाया जाता है। संयंत्र में प्राप्त दूध का volume/weight को सत्यापित करने की दशा में यह भी संभव है कि गुप्त रूप से स्थित drain पाईप में T जोडकर एक आउटलेट पानी के drain हेतु तथा दूसरी आउटलेट आगे के चेम्बर में अनलोडिंग पाईप से जोडकर रखा गया होगा। बाद में संदिग्ध टेंकर का रचना एवं स्वरूप से छेडछाड कर उक्त व्यवस्था को निकाला भी गया होगा।

निष्कर्ष :

1. शिकायत में दिनांक 08.01.2016 के वर्णित टेंकर क्रमांक MP 04 GA 7818 की टेंकर बैरल के फ्रन्ट चेम्बर के अंदर एक छोटा 1300 लीटर का गुप्त काम्पार्टमेन्ट बने होने के तथ्य की पुष्टि होती है।
2. संदर्भित टेंकर के विरूद्ध उत्पादन शाखा, सुरक्षा शाखा, एक्स आर्मी सेक्यिूरिटी द्वारा पंचनामे में गुप्त काम्पार्टमेन्ट का स्पष्ट उल्लेख होने के पश्चात भी श्री के.एस.मिश्रा, सहायक महाप्रबंधक (यांत्रिकी) द्वारा on duty प्रबंधक (संसं) एण्ड शिफ्ट प्रभारी के निर्देशों को रद्द करते हुए इस गंभीर प्रकरण में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन नहीं लेकर एवं संदिग्ध टेंकर को छोडकर दोषी परिवहनकर्ता को अनुचित लाभ एवं सबूत मिटाने का अवसर दिया गया। घटना के समय मौके पर उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी में श्री मिश्रा वरिष्ठतम अधिकारी थे। अपने पदीय दायित्वों के विपरीत संघ के हितों के प्रतिकूल निर्णय लेकर अमल कराया गया।
   अतः दुग्ध चोरी के प्रकरण में श्री मिश्रा की संलिप्तता की पुष्टि होती है।
3. शिकायत में वर्णित अनुसार श्री आर.के.दूरवार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल के द्वारा दूध क्रय में घोटाला किया जाना, पार्टनरशिप में टेंकर चलने इत्यादि के संबंध में लेख है कि दिनांक 09.01.2016 को दूध चोरी की घटना उनके संज्ञान में आने के उपरांत तत्काल प्रशासनिक कार्यवाही की जाकर इसकी लिखित सूचना एमपीसीडीएफ को दी जानी चाहिए थी जिस पर उनके द्वारा कार्यवाही नहीं की गई जिससे प्रकरण में उनकी भूमिका संदेहास्प्रद प्रतीत होती है।
4. दुग्ध चोरी की घटना का खुलासा दिनांक 09.01.2016 को होने के उपरांत श्री आर.के. दूरवार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा तत्परता से परिवहनकर्ता, दोषी अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही एवं कार्यप्रणाली में सुधार हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इनके द्वारा संघ के गतिविधियों के अंतर्गत मुख्यतः क्षेत्र एवं संयंत्र के कार्यकलापों के नियंत्रण में कमी एवं दायित्वों के निर्वाहन में उदासीनता बरती गई।

(श्री जे.आर.दारूवाला) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (वित्त/संसं) एमपीसीडीएफ, भोपाल	(श्री एम.ए. खान) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गुनि) एमपीसीडीएफ, भोपाल	(श्री पी.व्ही.एन.रेड्डी) सहायक महाप्रबंधक (संसं) एमपीसीडीएफ, भोपाल